चित्रकूट पुलिस

**(1).** “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

**(2).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2026 को मृतक की पत्नी कुसमा देवी निवासिनी बम्बूरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मृतक पति रोहित गांव के ही रहने वाले इन्द्रमोहन उर्फ मुन्ना निषाद के यहां बिल्डिंग मटेरियल' के दुकान पर लेबर का काम करता था दिनांक 09.08.2026 को पति रोहित निषाद शाम 6 बजे घर पर आये और सामान घर पर रख कर यह कहते हुए चले गये कि तुम लोग बना खा लेना मेरा इंतजार मत करना। गांव के बम्बुरा चौराहा पर देशी शराब की दुकान के सामने गोरेलाल पुत्र रामसखा निवासी बम्बुरा, संजय निषाद पुल दुर्गा निषाद निवासी पोतनिहा का पुरखा, रामराज पुत्र हनुमान निवासी बम्बुरा और हनुमान पुत रामखेलावन निवासी बम्बुरा, राजू पुत्र हनुमान निवासी बम्बुरा ने एक राय होकर उनके पति को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडा और सांग मार पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। पति रोहित वहीं से खून से लतपथ होकर घर के लिए चले चौराहे से थोड़ी दूर पर रोड के किनारे पति का शव पड़ा था अत्यधिक मारपीट से आई चोटो व खून बहने के कारण उनकी की मृत्यु हो गयी। सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 292/26 धारा 105,115(2)3(5),191(2),191(3),352 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 13.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के एक आऱोपी अभियुक्त गोरेलाल निषाद पुत्र स्व0 रामसखा निषाद निवासी ग्राम बम्बुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रय़ास किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री अऱविन्द कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह
3. आरक्षी सोनपाल
4. आरक्षी हिमांशु

(3) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0 श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 13.08.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 09/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी

अभियुक्त रामहित कोल पुत्र प्यारेलाल कोल निवासी छेरिहा बुजुर्ग थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0 श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 13.08.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कमलेश रैदास पुत्र रामबहोरी रैदास निवासी ग्राम गोपीपुर थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 9000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत पाण्डेय व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 13.08.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 267/26 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त विवेक गोस्वामी पुत्र अखिलेश गोस्वामी निवासी तिंदवारी जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि व 2600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 13.08.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 143/18 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त चुन्नीलाल पटेल उर्फ मैडम पुत्र हरिपाल निवासी लखनपुर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). चित्रकूट। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं जनपद चित्रकूट के प्रभारी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' जी द्वारा आज लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन से भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। तिरंगा यात्रा पटेल तिराहा, धनुष चौराहा होते हुए

एलआईसी तिराहा स्थित शहीद स्मारक पहुंची, जहां प्रभारी मंत्री जी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्तंभ पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात तिरंगा यात्रा का समापन किया गया।

शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा एवं मंडल स्तर पर भी 'हर घर तिरंगा' यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनपद चित्रकूट का प्रभारी मंत्री होने के नाते इस गौरवपूर्ण तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

उन्होंने कहा कि आज विश्व के विभिन्न हिस्सों में युद्ध एवं अशांति की स्थिति के बीच भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी वैश्विक पहचान को मजबूत किया है। देश में जाति, धर्म एवं मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना के साथ तिरंगा फहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन, बान, शान और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने जनपदवासियों से आह्वान किया कि 15 अगस्त को सभी नागरिक अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य फहराएं।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अनेक माताओं ने अपने पुत्र, बहनों ने अपने भाइयों तथा पत्नियों ने अपने पति खोए हैं। शहीदों के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र की प्रगति एवं विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंत में प्रभारी मंत्री जी एवं उपस्थित जनसमूह द्वारा सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन किया गया।

तिरंगा यात्रा में माननीय विधायक मऊ/मानिकपुर श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री महेंद्र कोटार्य, जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, पूर्व सांसद श्री आरके सिंह पटेल एवं श्री भैरव प्रसाद मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व विधायक श्री आनंद शुक्ला, श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, नगर पालिका परिषद कर्वी के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी श्री सुशील द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख मानिकपुर श्री अरविंद मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख मऊ श्रीमती सुशीला देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री लव कुश चतुर्वेदी, श्री चंद्र प्रकाश खरे, श्री दिनेश तिवारी, जिला महामंत्री श्री आलोक पांडेय, श्री अश्वनी

अवस्थी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती दिव्या त्रिपाठी सहित भाजपा के श्री शक्ति प्रताप सिंह तोमर, श्री विकास मिश्रा, श्री राम सागर चतुर्वेदी, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, श्री आनंद त्रिपाठी, श्री प्रमोद पटेल, श्री श्रवण पटेल, श्री प्रकाश केसरवानी, श्री रवि गुप्ता, श्री शानू गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पर्यटन विभाग के श्री संजय पांडेय, श्री लव कुश एवं श्री दिनेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 13.08.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त श्यामलाल पुत्र मैरमा कहार निवासी परसौजा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 9479/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह कोतवाली कर्वी व आरक्षी विवेक राजा,आरक्षी इंदल कुमार,आरक्षी संजीव सोनी द्वारा अ0सं0 716/25 धारा 110,352,115(2),351(3) बीएनएस के वारंटी अभियुक्त 1.अमित उर्फ एंपुल यादव पुत्र राजकरण उर्फ कन्ना निवासी छिपनी बाहर खेड़ा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.अरुण कुमार शुक्ला पुत्र वेद प्रकाश शुक्ला निवासी छिपनी बाहर खेड़ा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।